

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(2)न्याय/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक

9 DEC 2020

आदेश

डीपीआईआईटी द्वारा व्यवसाय में नियामक अनुपालनाओं के बोझ को कम करने एवं तर्कसंगत बनाने हेतु पुराने अधिनियमों एवं अनुपालनाओं की जांच करके अनावश्यक अधिनियम, नियम एवं प्रशासनिक आदेशों को हटाने के लिये तथा व्यापार प्रक्रिया की पुनर्चना करने हेतु अधिनियम, नियम एवं आदेशों को सरल करने एवं सभी प्रक्रियाओं को डिजिटिज्ड करने तथा उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण (Ease of Doing Business) के लिये संयुक्त शासन सचिव, विधि को विधे एवं विधिक कार्य विभाग का नोडल अधिकारी तुरन्त प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

9.12.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

संयुक्त शासन सचिव  
9/12/20